

प्रेस विज्ञप्ति थाना AHT जनपद गोरखपुर दिनांक 15.06.2022

नाबालिग बच्चे को बालश्रम से मुक्त कराते हुए सेवायोजक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध की रोकथाम व बालश्रम, भिक्षावृत्ति रोकथाम चलाए जा रहें अभियान में दिए गए निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक अपराध गोरखपुर व पुलिस उपाधीक्षक अपराध के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना एएचटी जनपद गोरखपुर व हमराह कर्मचारीगण द्वारा तथा श्रम प्रवर्तन टीम गोरखपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 15.06.2022 को मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र चौरीचौरा फुटहवा इनार तरकुलहा मोड़ से नाबालिग बच्चे को बालश्रम कराते हुए पाए जाने पर नाबालिग बालक को नियमानुसार रेस्क्यू करते हुए सेवायोजक के विरुद्ध थाना AHT गोरखपुर पर मु0अ0स0 02/2022 धारा 79 किशोर न्याय अधिनियम 2015 व 14 बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 02/2022 धारा 79 किशोर न्याय अधिनियम 2015 व 14 बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम थाना AHT गोरखपुर।

रेस्क्यू करने वाली पुलिस टीम का नाम व पद-

1. प्र0नि0 जय नारायण शुक्ल थाना एएचटी जनपद गोरखपुर ।
2. उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता थाना एएचटी जनपद गोरखपुर ।
3. हे0का0 मो0 आफताब थाना एएचटी जनपद गोरखपुर ।
4. का0 अखिलेश पटेल थाना एएचटी जनपद गोरखपुर ।